पंजाब : ड्रग तस्करी का गढ़

चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लागू थी, तब पंजाब से चुनाव आयोग और पंजाब पुलिस ने दूसरे राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में ड्रग (नशीली दवाएं) जब्त की। 5 मार्च से 1 मई तक पुलिस ने 780 करोड़ रुपये की ड्रग पकड़ी जबकि आयोग की निगरानी टीम ने 1.9 करोड़ का (426 किलोग्राम) और उड़न दस्ते ने 1.8 करोड़ का (767 किलोग्राम) ड्रग जब्त किया। एक सामान्य आँकलन के हिसाब से नशे का यह करोबार पंजाब के सालाना बजट को भी पार कर चुका है जो 50 हजार करोड़ से अधिक है। इस कारोबार में लगे तस्कर इस बात को बखूबी समझते हैं कि लोग़ों को किस तरह पहले नशे की आदत का शिकार बनाने वाले ड्रग बेचे जायें। उसके बाद वे हिरोइन, स्मैक और अफ़ीम की आपूर्ती करते हैं। ये ड्रग मीठा जहर हैं। पंजाब में नशाखोरी का आलम यह है कि अमृतसर संसदीय क्षेत्र के मकबूलपुरा गांव की 90 प्रतिशत महिलाएं विधवा हैं क्योंकि उनके पतियों की मौत नशे के कारण हो चुकी है। पंजाब में सीमा पार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ड्रग आपूर्ति के रास्ते हैं। जालन्धर की काजी मंडी नशे की मंडी बन गयी है। यहीं से तस्कर सरकार और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में बेखौफ हो शराब, स्मैक और हिरोइन की घर-घर आपूर्ति करते हैं।

भाजपा समर्थित शिरोमणी अकाली दल की बादल सरकार ने लोकसभा चुनाव-2014 में करारी हार का सामना किया। हार के कारणों में सबसे प्रमुख कारण राज्यभर में सड़ांध बनकर फैला नशे का कारोबार माना जा रहा है। इसने बादल सरकार को झकझोर कर रख दिया। हालांकि यह कारोबार कई सालों से बेरोक-टोक जारी था और प्रशासन के लिए एक खुला रहस्य था। सरकार तब तक इस पर पर्दा डाले रही जब तक पानी सर से नहीं गुजर गया। हार के बाद सरकार जागी और आनन-फ़ानन में गिरफ़्तारियों का दौर शुरू हुआ। 15 दिन के अन्दर 3335 लोग़ों को गिरफ़्तार किया गया और 3000 लोग़ों के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गयी। अखबारों के स्थानीय पृष्ठ नशे के कारोबार की जानकारी से भर गये। ऐसा लगने लगा कि पूरा पंजाब इस सड़ांध में डूब गया है। छोटे-मोटे ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसने के बावजूद इसके बड़े खिलाड़ी कानून की पहुंच से बाहर हैं। इनमें से ज़्यादातर तो खुद कानून के पहरुआ हैं।

पंजाब में नशाखोरी का आलम यह है कि अमृतसर संसदीय क्षेत्र के मकबूलपुरा गांव की 90 प्रतिशत महिलाएं विधवा हैं क्योंकि उनके पतियों की मौत नशे के कारण हो चुकी है।

दरअसल शिरोमणी अकाली दल के वोटों में 12 लाख की गिरावट के पीछे ड्रग तस्करी और कई नेताओं का इस धन्धे में लिप्त होना मुख्य कारण था। विपक्ष में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह बादल के साले बिक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर ड्रग तस्करों से सम्बन्ध बनाये रखने का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला किया था। जबकि सरकार मजीठिया को बचाने में लगी हुई थी। अन्तरराष्ट्रीय गिरोहबाज जगदीश भोला ने गिरफ़्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय के सामने मजीठिया के नाम का खुलासा किया था।

भोला ने तत्कालीन जेलमंत्री सरवन सिंह फिलौर के पुत्र दमनवीर सिंह पर गिरोह में शामिल होने का आरोप लगाया। इससे एक ओर दमनवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गयी तो दूसरी ओर सरवन सिंह को जेलमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा लेकिन अकाली दल ने दमनवीर सिंह को पार्टी से निकाला नहीं है और सरकार द्वारा उसे बचाने की पूरी कवायद जारी है। पंजाब पुलिस भी इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। अब तक इस मामले में चुप्पी साधे बैठी भाजपा ने जब देखा कि दाग उसके सहयोगी दल तक सीमित न होकर उस तक पहुंचने वाले हैं तो मौके की नजाकत को देखते हुए उसने अकाली दल से दूरी बनानी शुरू कर दी।

ड्रग तस्करी मामले में गिरफ़्तार 60 प्रतिशत से अधिक अपराधी 20 साल से कम उम्र के हैं। इसमें इंजीनियरिंग के डिग्रीधारी वे नौजवान भी शामिल है जिन्हें कहीं भी सम्मानजनक रोजगार नहीं मिला। रोज़गार की खस्ता हालत ने भी नौजवानों को इस अंधकारपूर्ण धन्धे की ओर धकेल दिया। आज देश आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। वैश्वीकरण की नीतियों के जरिये एक ओर मुट्ठीभर सट्टेबाज़ों, नेताओं, पूंजीपतियों और भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने लिये देश के अन्दर ही स्वर्ग का निर्माण कर लिया है। तो दूसरी ओर महंगी शिक्षा, महंगी चिकित्सा और बेरोज़गारी के चलते बहुसंख्य लोग़ों की जिन्दगी बदहाल है। नौजवानों का भविष्य अन्धकार में डूब गया है। ऐसी स्थिति में कई नौजवान जिन्दगी से निराश हो अपनी जीवनलीला समाप्त कर लेते हैं और कुछ झटपट धनी बनने के लिये अपराध का रास्ता चुन रहे हैं। जिन्दगी से निराश नौजवान नशे की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। वे अपने दु:ख भुलाने और अकेलेपन को भरने के लिये नशे में डूब जाते हैं।

पंजाब में नशे के कारोबार का भंडा फूटने से प्रशासन, नेता और तस्करों के बीच की सांठ-गांठ खुलकर सामने आ गयी है।

आज अपराधियों का गिरोह न केवल सत्ता के गलियारे तक पहुंच चुका है बल्कि विकास के झूठे वादे कीआड़ में जन-विरोधी नीतियों के जरिये जनता की छाती पर मूंग दल रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के प्रति हमारा यह कर्तव्य बनता है कि आगे बढ़कर न केवल इन जनविरोधी सरकारों के विरुद्ध संघर्ष करें बल्कि एक जन-पक्षधर सरकार बनाने की तैयारी में जी-जान लगा दें। सच है, ''जब तक सज्जन चुप रहते हैं तभी तक दुर्जन राज करते हैं।''

-देश-विदेश

हम चुनाव नहीं चाहते.. कोई चुनाव नहीं चाहता

दिल्ली विधानसभा की स्थिति अजीब सी है। उसे पिछले पांच महीने से 'सस्पेंडेड एनिमेशन' में रखा गया है यानी जिन्दा तो है पर काम नहीं करेगी और भविष्य में इसका क्या होगा यह दिलचस्प है।

जब फरवरी में केजरीवाल एण्ड कम्पनी की सरकार ने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने विधानसभा भंग कर नये चुनाव कराने की सिफ़ारिश भी की थी। पर तब कांग्रेस की केन्द्र सरकार कुछ और ही समीकरण देख रही थी। उसे लग रहा था कि लोकसभा चुनावों के बाद फिर से आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बनाने की जरूरत पड़ सकती है। कम से कम वह लोकसभा चुनावों के साथ चुनाव करवाकर अपनी और फजीहत नहीं करवाना चाहती थी। उसे परिणाम का अंदाजा था। उसे उम्मीद थी कि वक्त के साथ उसके प्रति जनता की नाराज़गी कम हो जायेगी। इसलिए फ़रवरी में विधान सभा भंग नहीं हुई।

फरवरी में भाजपा भी चुनाव नहीं चाहती थी। वह आश्वस्त नहीं थी कि नये चुनाव में वह बेहतर कर पायेगी। इसीलिए अब आम आदमी पार्टी की अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस और भाजपा को तलब किया तो भाजपा ने गोल-माल जवाब दिया। लोकसभा चुनावों के बाद पूंजीवादी राजनीति की जोड़-तोड़ की राजनीति और गरम हो गई। इन चुनावों में कोग्रस की हालत और पतली हो गयी जबकि भाजपा की और बेहतर। कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उसे लगा कि और बुरा नहीं हो सकता।

इसीलिये चुनावों के बाद कांग्रेस पलट कर चुनाव कराने की मांग पर आ गई पर उसे लगा कि चुनाव जितनी देर से होंगे उतना ही उसके लिये बेहतर होगा। दूसरी ओर अब तक चुनावों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी चुपके-चुपके सरकार बनाने की नई कोशिशें करने लगी। उसने कांग्रेस से नये गठबंधन के लिये बाकायदा प्रयास भी किया पर अबकी बार कांग्रेसियों ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया।

सबको लगा कि ऐसे में नयी भाजपा सरकार विधानसभा भंग करवाकर कई प्रदेशों के साथ यहां भी नये चुनाव की ओर बढेगी पर ऐसा नहीं हुआ।

वक्त के साथ यह स्पष्ट हुआ कि भाजपा दोनों विरोधी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने के लिये प्रयासरत है। कांग्रेसी विधायकों के नाम भी उज़ागर हो गये जो टूटने को तैयार थे। बस राजनीतिक हानि-लाभ का लेखा-जोखा लेना बाकी था।

और तब दृश्य और भी जुगुप्सित हो गया। जोड़-तोड़ से भाजपा की सरकार बनते देख आम आदमी पार्टी ने बाकायदा दिल्ली में पोस्टर चिपकवा दिये जिसमें मुस्लिम समुदाय से कहा गया था कि मुस्लिम विधायक गद्दारी कर भाजपा में जा रहे हैं। आरोपों-प्रत्यारोपों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया।

यह आश्चर्यजनक किन्तु सत्य है कि आज लुटी-पिटी कांग्रेस सबसे अच्छी स्थिति में है जबकि अभी हाल में जीत का सेहरा बांधे भाजपा घबराई हुई।

केन्द्र में सरकार बनाने के दो महीने के भीतर ही भजपा की हालत खराब हो गई है। वह जनता के मोह भंग से डर रही है, खासकर बढ़ती महंगाई के कारण। साथ ही उसे पता है कि लोक सभा में उसे वोट देने वाले बहुत सारे मतदाता विधान सभा में उसे वोट नहीं देंगे।

इसी के साथ भाजपा के विधायकों को व्यक्तिगत भय भी सता रहा है। वे आश्वस्त नहीं हैं कि वे फ़िर जीत जायेंगे। इसीलिए वे अभी जोड़-तोड़ से सत्ता सुख भोग लेना चाहते हैं।

यही हाल आम आदमी पार्टी विधायकों का है। वे सारे के सारे नये हैं। ज्यादातर लोग़ों की अपनी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। इसीलिए वे भयभीत हैं। वे नहीं चाहते कि नये चुनाव हों।

कांग्रेस के विधायक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। कल हो न हो। ऐसे में सल्तनतकालीन दिल्ली की तरह दिल्ली में कुचक्रों का बाजार बहुत गर्म हो गया है। आगे और भी जोड़-तोड़ सामने आ सकते हैं।

नागरिक

शिवचरण टटोल रहे हैं मुनाफ़ा कहां मिलेगा ?

शेष पेज तीन का

मंशा यह भी है कि यदि प्रदेश में भाजपा की बजाय चौटाला की सरकार बनती है तो भाजपा में रहते शिवचरण अपने काले धन को बचा सकता है। पिछले पांच साल में शिवचरण ने जितना पैसा कमाया है, यदि चौटाला ने उसकी जांच करवा दी तो शिवचरण बर्बाद हो जाएगा, ऐसे में भाजपा में रहते हुए वह खुद को बचा सकता है, क्योंकि एक तो चौटाला और भाजपा के रिश्ते पुराने हैं, दूसरा केंद्र में सरकार होने का शिवचरण को फायदा मिलेगा। इसी रणनीति के चलते शिवचरण ने अपने छोटे बेटे नीरज को पहले ही भाजपा में शामिल करा दिया था।

शिवचरण की हिम्मत देखिए कि वह खुद तो कांग्रेस की टिकट नहीं मांग रहा, लेकिन जब बसपा और आम आदमी पार्टी से होता जगन डागर कांग्रेस में पहुंचा तो शिवचरण ने मुख्यमंत्री को धमकी भरा बयान दिया कि हुड्डा को उनसे पूछना चाहिए था। हालांकि बयान छापने वालों ने शिवचरण से यह नहीं पूछा कि किस हैसियत से उससे पूछना चाहिए था, न तो वह कांग्रेस का सदस्य है और न ही उसने टिकट के लिए आवेदन किया था।

पिछले पांच साल से अरबों रुपये की अकूत संपत्ति इकट्ठा कर चुके शिवचरण के खिलाफ बोलने वालों की संख्या भी न के बराबर है। अब जब चुनाव सिर पर हैं तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार शिवचण का पुतला फूंक रहे हैं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि शिवचरण के पीए ने 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की है, लेकिन पांच साल में शिवचरण ने अरबों रुपये कमाए, उसके खिलाफ ये नेता पांच साल तक सोए रहे और अब भी उसके खिलाफ कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। यदि यह नेता पांच साल तक सक्रिय रहते तो शिवचरण की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह अरबों रुपया कमा पाता।

तुर्की-ब-तुर्की

''संजीव चतुर्वेदी की पात्रता ही नहीं है'' केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उपरोक्त टिप्पणी एम्स के सी वी ओ संजीव चतुवेर्दी को अचानक हटाने पर उनकी प्रतिनियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए की।

हमारा कहना है:-

जब संविधान की रखवाली स्वास्थ्य मन्त्रालय में डॉ. हर्षवर्धन जैसे के हाथ में आ गयी है तो ईमानदार व्यक्तियों की नियुक्तियां 'असंवैधानिक' नहीं तो और क्या होंगी ? लगता है हर्षवर्धन ने संविधान का वह आलेख पढा है जो जे पी नड्डा के निर्देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भाजपा के लिये लिखा है।

लगता है हर्षवर्धन के शब्दकोष में ईमानदारी का मतलब असंवैधानिक दिया गया है। जिस तरह भाजपाई प्रवक्ता उनका बचाव कर रहे हैं और मोदी समेत तमाम वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, यही कहा जा सकता है कि सारी की सारी भाजपा ने भी यही शब्दकोश पढा है।

हर्षवर्धन स्वयं एक संवैधानिक पद पर हैं। उनकी नियुक्ति के संवैधानिक होने में किसी को रंचमात्र भी संदेह नहीं हो सकता। क्या वे बतायेंगे कि बतौर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने अपने मन्त्रालय और विभाग में कितना भ्रष्टाचार कम किया है ? तमाम सरकारी अस्पतालों में व्याप्त चोरी और लूट के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी संवैधानिकता उनके आड़े आ रही है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेईमानों की तरफ़ से बोलना और उनका स्वार्थ साधना ही हर्षवर्धन के लिये संवैधानिकता की परिभाष है ?

और अगर नियुक्ति अंसवैधानिक है भी लेकिन आदमी ईमानदार है तो प्रक्रिया की कमी को दूर करके संवैधानिक तरीके से उसकी नियुक्ति दोबारा कर दीजिए। जब नृपेन मिश्रा को मोदी का सचिव नियुक्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो संजीव के लिए कुछ क्यों नहीं ? क्या नृपेन मिश्रा में ज्यादा सुरखाब के पंख लगे थे ? या वह मोदी की चोरी में सहायक था और संजीव मोदी की राह में रोड़ा ?